



UPBJ010144722023

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी- (Sri Avdhesh Kumar), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074

सेशन्स केस संख्या 2511/2023

सरकार

बनाम

शुभम आदि

आरोप

मैं अवधेश कुमार प्रथम, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट (पी.ए.) बिजनौर आप अभियुक्तगण **शुभम व अरविन्द** को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ—

1— यह कि दिनांक 09-10-2023 को समय 07:00 बजे प्रातः स्थान ग्राम शेखुपुरा भावडा थाना धामपुर, जिला बिजनौर में आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा शिव कुमार व उसकी पत्नी हेमलता को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **323/34** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2— यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा शिव कुमार व उसकी पत्नी हेमलता को जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर गंभीर चोटें पहुँचायी, यदि उक्त चोटों से वादी मुकदमा व उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती तो आप के आरोप के दोषी होते। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा **307/34** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3— यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा शिव कुमार व उसकी पत्नी हेमलता को लोक शान्ति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गन्दी-गन्दी गालियाँ देते हुए अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा **504** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4— यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा शिव कुमार व उसकी पत्नी हेमलता को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **506** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5— यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर आपने वादी मुकदमा शिव कुमार व उसकी पत्नी हेमलता को जान से मारने की नीयत

से तमंचे से फायर किया तथा मारपीट कर गंभीर चोटें यह जानते हुए पहुँचायी कि वे अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। उक्त अपराध दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारवास या आजीवन कारावास के दण्ड एवं जुर्माने से दण्डनीय है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3(2)5** एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6— यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर आपने वादी मुकदमा शिव कुमार व उसकी पत्नी हेमलता को अपमानित करने के आशय से मारपीट कर गन्दी-2 गालियाँ देते हुए जान से मारने की धमकी यह जानते हुए दी कि वे अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3(1)द** एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

7— यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा शिव कुमार व उसकी पत्नी हेमलता को मारपीट कर गन्दी-2 गालियाँ देते हुए जान से मारने की धमकी यह जानते हुए दी कि वे अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3(1)ध** एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

8— यह कि दिनांक 10-10-2023 को समय 21:06 बजे स्थान ग्राम शेखपुर भावडा थाना धामपुर, जिला बिजनौर में आप **शुभम** के पास से पुलिस द्वारा एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व दो जीवित व दो खोखा कारतूस 12 बोर बरामद किए गए जिसे रखने का आपके पास कोई वैद्य लायसेंस नहीं था। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3/25** आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनांक 27-03-2024

(अवधेश कुमार प्रथम)

विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।

अभियुक्तगण को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनांक 27-03-2024

(अवधेश कुमार प्रथम)

विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।

UPBJ010144722023

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

सेशन्स केस संख्या 2511/2023

सरकार

बनाम

शुभम आदि

27-03-2024

पत्रावली पेश हुयी। पुकार कराई गयी। पुकार पर अभियुक्तगण **शुभम व अरविन्द** जमानत पर मय विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध विवेचनाधिकारी द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। पत्रावली पर अभियुक्त अरविन्द के विरुद्ध धारा 307/34, 323/34, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)5, 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट एवं अभियुक्त शुभम के विरुद्ध धारा 307/34, 323/34, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)5, 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाए।

दिनांक 27-03-2024

(अवधेश कुमार प्रथम)

विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।

उपरोक्तानुसार अभियुक्त अरविन्द के विरुद्ध धारा 307/34, 323/34, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)5, 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट एवं अभियुक्त शुभम के विरुद्ध धारा 307/34, 323/34, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)5, 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की याचना की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 30-04-2024 को पेश हो, गवाहान तलब हो।

दिनांक 27-03-2024

(अवधेश कुमार प्रथम)

विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।